

37-3804069  
28/10

①

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत  
रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-पेंशन प्राधिकृति/आदेश/के-85/2016-17/ 2584

दिनांक:- 27-10-2016

प्रधान महालेखाकार (ले. व हक),  
आन्ध्र प्रदेश, श्रीफाकाद रोड,  
हैदराबाद - 500004 -

1 मोह (No) 221  
15-11-16

विषय:- राजस्थान पेंशन नियम 66,143 एवं 145 में संशोधन बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (Rules Division) के नोटिफिकेशन संख्या F.15(2)FD/Rules/1997 दिनांक 4.10.2016 से राजस्थान पेंशन नियम 66, 143 एवं 145 में किये गये संशोधन की प्रति भिजवाई जा रही है ।


अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्न:-(1)

भवदीय

27/10/16

व. लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि



OGP

453290  
02/11/16

